न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डार, (स0मा0)

पीठासीन अधिकारीः— सीमा खेतान (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
18 / 2023	16.06.2023	16.4.2025

1. कमलेश कुमार पुत्र सियाराम जाति मीना निवारी पीपल्दा तहसील खण्डार जिला स0मा0।
2. अशोक कुमार पुत्र सियाराम जाति मीनानिवारी पीपल्दा तहसील खण्डार जिला स0मा0।

———प्रार्थी

बनाम

1. जगदीश पुत्र मथुरा जाति मीना निवारी पीपल्दा तहसील खण्डार जिला स0मा0।
2. लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील खण्डार।

———अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :—श्री अन्जनी कुमार तेहरिया अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से

निर्णय

1. प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश किया है,

- यह कि प्रार्थीगण की खातेदारी कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बर 815 रकबा 10 बीघा 17 बिस्वा खसरा नम्बर 816 रकबा 8 बिस्वा वाके ग्राम पीपल्दा तहसील खण्डार मे स्थित है। जमाबन्दी नकल संलग्न है।
- यह कि प्रार्थीगण की उक्त खातेदारी कब्जे काश्त की आराजी खान 815 व 816 वाके ग्राम पीपल्दा मे स्थित उक्त आराजीयात पर आने जाने कृषि संसाधन ट्रेक्टर वगैरालाने ले जाने का एक मात्र रास्ता ग्राम पीपल्दा से गुजर कर सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 786 / 1 रकबा 10 बीघा 11 बिस्वाए ख0नं0 788 रकबा 03 बीघा 14 बिस्वा बांके ग्राम पीपल्दा मे स्थित सिवायचक भूमि से गुजर कर सिवायचक भूमि ख0नं0 788 की उत्तरी मेड के सहारे सहारे पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर गुजर कर प्रार्थीगण की भूमि ख0नं0 815 व 816 पर पहुंचता है। उक्त रास्ता 15 फीट चौडाई में है। उक्त सिवायचक भूमि पर अप्रार्थीगण संख्या 01 ने जबरन लठ्ठ के जोर से अतिक्रमण कर कब्जा कर लिया है।
- यह कि आराजी खसरा नम्बर 815 रकबा 10 बीघा 17 बिस्वा व ख0नं0 816 रकबा 08 बिस्वा वांके ग्राम पीपल्दा में स्थित है। उक्त प्रार्थीगण के खेतो पर पहुंचने का रास्ता सिवायचक भूमि ख0नं0 786 / 1 व ख0नं0 788 ग्राम पीपल्दा आम रास्ते से गुजर कर उक्त सिवायचक भूमि की मेड के सहारे सहारे गुजर कर प्रार्थीगण के खेतो के पहुचता है। इसलिए प्रार्थी राज काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 21 उपधारा अनुज्ञा के लिए आवेदन है।
- यह कि अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा दिनांक 05.0_.2023 को समय करीब सुबह 10.00 बजे उक्त 15 फीट चौडा रास्ता ___ ख0नं0 786 / 1 व ख0नं0 788 की मेड के सहारे सहारे गुजर कर प्रार्थीगण के खेतो की ओर जा रहा है जिस पर अतिक्रमण कर कब्जा कर फसल बोकर बन्द करने पर वाद कारण उत्पन्न हुआ

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Khetan
Date: 2025.09.08 14:46:29 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
खण्डार (सवाई माधोपुर)

उपखण्ड अधिकारी खण्डार (स.मा.) सत्यमेव जयते

- अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राज० काश्तकारी अधिनियम पेश कर श्रीमानजी से निवेदन है कि प्रार्थीगण के खेत ख.नं. 815 रकबा 10 बीघा 17 बिस्वा व ख.नं. 816 रकबा 08 बिस्वा वांके ग्राम पीपल्दा मे स्थित भूमि पर आने जाने कृषि संसाधन लाने ले जाने हेतु ग्राम पीपल्दा आम रास्ते से गुजर कर सिवायचक भूमि ख. नं. 786/1 व ख.नं. 788 की मेड के सहारे सहारे पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर 15 फीट चौडा रास्ता दिया जाकर रेवेन्यू रिकार्ड मे अंकन करवाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

- प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 बावजूद तामील उपस्थित नहीं होने के कारण इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। तहसीलदार खण्डार (अप्रार्थी संख्या 02) से उक्त विवादित भूमि की मौका रिपोर्ट तलब की गई।

2. तहसीलदार खण्डार (अप्रार्थी संख्या 02) द्वारा मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसमें बताया गया है कि ग्राम पीपल्दा के आराजी खसरा नम्बर 815 व खसरा नम्बर 816 प्रार्थीगण अशोक कमलेश पिता सियाराम, उमेश कुमार धर्मराज पुत्र सियाराम जति मीना खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड है। प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार मौके पर काश्त करते चले आ रहें है। प्रार्थी की खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु कोई स्थायी रास्ता चालू नहीं है। ना ही निकटतम् कोई रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। प्रार्थी की खातेदारी भूमि के निकटतम् मौके पर रास्ता आराजी खसार नबर 787, 788, 790, 791 में पश्चिम सीमा से लगते हुए खसरा नम्बर 762, 786, 793 होकर बना हुआ है। उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं है। प्रार्थी को आवगमन हेतु खसरा नम्बर 788 मे से रास्ता दिया जाना सुविधाजनक व निकटतम् रहेगा। खसरा नम्बर 788 किस्म सिवायचक में चाहा गया वांछित लम्बाई 95 मीटर चौडाई 4 मीटर कुल 380 वर्गमीटर रास्ते के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है। प्रार्थी को उक्त प्रस्तावित रास्ते हेतु उपयोग में आने वाले भूमि जिला स्तरीय समिति द्वारा तय की गई राशि की दुगुना राशि 19342 बनती है।

3. बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। वकील प्रार्थी के द्वारा अवगत कराया गया है कि इस न्यायालय को नये मार्ग बनाने या विद्यमान मार्ग को चौड़ा करने की स्थिति में ही राजस्थान काश्तकारी अधिनियम धारा 251क के तहत श्रवण अधिकार प्राप्त है। प्रार्थीगण के खेत ख. नं. 815 रकबा 10 बीघा 17 बिस्वा व ख.नं. 816 रकबा 08 बिस्वा वांके ग्राम पीपल्दा मे स्थित भूमि पर आने जाने कृषि संसाधन लाने ले जाने हेतु रास्ते की आत्यान्तिक आवश्यकता होने पर ग्राम पीपल्दा आम रास्ते से गुजर कर सिवायचक भूमि ख. नं. 786/1 व ख.नं. 788 की मेड के सहारे सहारे पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर 15 फीट चौडा रास्ता दिया जाकर रेवेन्यू रिकार्ड मे अंकन करवाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

4. वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड एवं तहसीलदार से प्राप्त मौका रिपोर्ट का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी भूमि ख.नं. 815 रकबा 10 बीघा 17 बिस्वा व ख.नं. 816 रकबा 08 बिस्वा वांके ग्राम पीपल्दा मे आने जाने हेतु ग्राम पीपल्दा आम रास्ते से गुजर कर सिवायचक भूमि ख. नं. 786/1 व ख.नं. 788 की मेड के सहारे सहारे पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर 15 फीट चौडा रास्ता दिया जाकर रेवेन्यू रिकार्ड मे अंकन करने का अनुतोष चाहा गया। तहसीलदार खण्डार द्वारा मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण को ग्राम पीपल्दा के खसरा नम्बर 788 के अलावा निकटतम् व सुविधाजनक अन्य कोई रास्ता प्रस्तावित नहीं किया गया। खसरा नम्बर 788 से होकर ही निकटतम् रास्ता बताया गया। इस न्यायालय को नये मार्ग बनाने

उपखण्ड अधिकारी
खण्डार (सवाई माधोपुर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Khetan
Date: 2025.09.08 14:26:29 IST
Reason: SelfAttested